वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)
भाग–4

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और विवेचनात्मक टिप्पणी की जाए)

आवेदनकर्ता कार्यपालन अभियंता, अति उच्च दाब (संधारण) संभाग, छ.ग.रा.वि.पारे.कं.मर्या. कोरबा द्वारा गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही जिले के मरवाही वन मंडल अंतर्गत रकबा 2.128 हे. संरक्षित वन भूमि में 220 के.व्ही. डी.सी.डी.एस. छुरी–कोटमीकला लाईन लोकेशन 278 से 281 तक ग्राम केसला में विद्युत ट्रांसमिशन लाईन निर्माण हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत गैर वानिकी कार्य हेतु प्रस्ताव में दर्शाये अनुसार मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त के अनुशंसा से सहमत होते हुए वन भूमि के व्यपवर्तन की अनुशंसा की जाती है।

दिनांकः 20/07/2023
स्थानः अरण्य भवन, नवा रायपुर

(व्ही. श्रीनिवास राव)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
छत्तीसगढ़

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
छत्तीसगढ़

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़

अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, केपिटल कॉम्पलेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर – 492002

(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक – भू–प्रबंध)

दूरभाष: 0771 – 2512840 ई – मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्रमांक/भू–प्रबंध/विद्युत/479–182/1749 रायपुर, दिनांक 25/07/2023

प्रति,

प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय महानदी भवन,
नवा रायपुर, अटल नगर

विषय: – **Diversion of Forest land for non-forest purpose under forest conservation act, 1980 proposed for modification of 220 KV Transmission Line, new BG Electrified East West Rail Corridor from Gevra road-Pendra road Railway line between location no. 278-281 2.128 ha.**

– **पंजीयन क्रमांक – FP/CG/TRANS/43092/2019**

संदर्भ: – मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर का पत्र क्रमांक/तक./ 1278 दिनांक 09.05.2023 एवं पत्र क्रमांक 1798 दिनांक 05.07.2023

–00–

विषयांतर्गत कार्यपालन अभियंता, अति उच्च दाब (सुधार) संभाग, छ.ग.रा.वि.पारे.कं.मर्या. कोरबा ने पेण्ड्रा वन परिक्षेत्र में प्रस्तावित कक्ष क्रमांक पी–2357 रकबा 2.128 हे. संरक्षित वन भूमि का वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के दिशा निर्देशों तथा नवीन चेक लिस्ट अनुसार मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त के संदर्भित पत्रों द्वारा निर्धारित प्रपत्र भाग–3 में अनुशंसा सहित प्रस्ताव प्रेषित किया है।

कार्यालय नोडल अधिकारी, वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के परीक्षण उपरांत 44 बिन्दु चेकलिस्ट अनुसार प्रस्ताव का विवरण निम्नानुसार है:–

बिन्दु क्रमांक –1 आवेदक विभाग का मांग पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 01 से 14 तक) – कार्यपालन अभियंता, अति उच्च दाब (संधारण) संभाग, छ.ग.रा.वि.पारे.कं.मर्या. कोरबा द्वारा गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही जिले के मरवाही वन मंडल अंतर्गत 220 के.व्ही. डी.सी.डी.एस. छुरी–कोटमीकला लाईन लोकेशन 278 से 281 तक ग्राम केसला में रकबा 2.128 हे. संरक्षित वन भूमि का वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत गैर वानिकी उपयोग हेतु मांग किया गया है।

बिन्दु क्रमांक –2 प्रपत्र– I में रजिस्ट्रेशन कोड (वर्ष/पंजीयन क्रमांक) (प्रस्ताव पृष्ठ 15 से 20 तक) – आवेदक विभाग के मांग अनुसार प्रकरण का ऑनलाईन पंजीयन क्रमांक – FP/CG/TRANS/43092/2019 दिनांक 26.08.2020 को आबंटित किया गया है। प्रपत्र–1 में रजिस्ट्रेशन क्रमांक दर्ज किया गया है।

बिन्दु क्रमांक –3 वनक्षेत्र का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 21) – गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही जिले के मरवाही वन मंडल अंतर्गत 220 के.व्ही. डी.सी.डी.एस. छुरी–कोटमीकला लाईन लोकेशन 278 से 281 तक ग्राम केसला में रकबा 2.128 हे. संरक्षित वन भूमि के वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत गैर वानिकी उपयोग हेतु प्रस्तावित है।

बिन्दु क्रमांक –4 गैर वनक्षेत्र का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 22 से 23) – वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत व्यपवर्तन हेतु गैर वन क्षेत्र प्रस्तावित नहीं है।

बिन्दु क्रमांक –5 प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का मूल टोपोशीट 1:50000 स्केल पर (प्रस्ताव पृष्ठ 24 एवं डीजीपीएस रिपोर्ट) – प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया की मूल टोपोशीट क्रमांक F 44K1, 1:50,000 स्केल मानचित्र पर व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि को चिन्हित कर संलग्न किया गया है। मानचित्र वन मंडलाधिकारी, मरवाही वन मंडल द्वारा हस्ताक्षित है।

बिन्दु क्रमांक –6 वन क्षेत्र का इन्डेक्स मैंप (प्रस्ताव पृष्ठ 25) – वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत गैर वानिकी कार्य हेतु प्रस्तावित वनक्षेत्र का इन्डेक्स मैंप एवं 10 कि.मी परिधि का वेजिटेशन मूल टोपोशीट क्रमांक 64/J/01 एवं क्रमांक 64/J/02, 1:50000 स्केल में चिन्हित कर संलग्न किया गया है। मानचित्र वन मंडलाधिकारी, मरवाही वन मंडल द्वारा हस्ताक्षित है।

बिन्दु क्रमांक –7 प्रपत्र –4 में प्रस्ताव (प्रस्ताव पृष्ठ 26 से 32 तक) – गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही जिले के मरवाही वन मंडल अंतर्गत 220 के.व्ही. डी.सी.डी.एस. छुरी–कोटमीकला लाईन लोकेशन 278 से 281 तक ग्राम केसला में रकबा 2.128 हे. संरक्षित वन भूमि के वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत गैर वानिकी उपयोग हेतु वन मंडलाधिकारी मरवाही वन मंडल द्वारा जारी प्रपत्र–4 प्रस्ताव में संलग्न है। प्रस्ताव अनुसार परियोजना की कुल लागत 3.85 करोड़ रूपये है। वन क्षेत्र का घनत्व 0.1 से 0.4 है।

बिन्दु क्रमांक –8 प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप (प्रस्ताव पृष्ठ 33 से 34 तक) – गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही जिले के मरवाही वन मंडल अंतर्गत 220 के.व्ही. डी.सी.डी.एस. छुरी–कोटमीकला लाईन लोकेशन 278 से 281 तक ग्राम केसला में रकबा 2.128 हे. संरक्षित वन भूमि की मांग की गई है।

इस नये निर्माणाधीन ईस्ट–वेस्ट रेल कॉरीडोर परियोजना (गेवरारोड से पेण्ड्रारोड) में उक्त ट्रांसमिशन लाईन प्रभावित कर रहा है, जिससे क्षेत्र के विकास में (माल एवं यात्री सेवाओं) बाधा उत्पन्न होने की संभावना को देखते हुये उक्त ट्रांसमिशन लाईन को अन्य स्थल पर व्यपवर्तित किया जावेगा जिससे आम जनता को बेहतर रेल सुविधा एवं विद्युत मिल सकेगा।

बिन्दु क्रमांक –9 वैकल्पिक वृक्षारोपण राशि जमा करने का वचन पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 35) – प्रस्ताव में वैकल्पिक वृक्षारोपण की राशि जमा करने का आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है।

बिन्दु क्रमांक –10 न्यूनतम वनक्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 36) – गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही जिले के मरवाही वन मंडल अंतर्गत 220 के.व्ही. डी.सी.डी.एस. छुरी–कोटमीकला लाईन लोकेशन 278 से 281 तक व्यपवर्तन कार्य के लिये रकबा 2.128 हे. संरक्षित वन भूमि की मांग आवश्यक एवं न्यूनतम है तथा प्रस्तावित वन क्षेत्र के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं है। इस आशय का वन मंडलाधिकारी, मरवाही एवं आवेदक संस्थान का संयुक्त हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।

बिन्दु क्रमांक –11 पर्यावरण संरक्षण स्वीकृत प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 37 से 46 तक) – प्रस्तावित कार्य हेतु पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम के अंतर्गत पर्यावरण स्वीकृति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिन्दु क्रमांक –12 वृक्ष विदोहन विवरण (प्रपत्र–अ एवं ब में) (प्रस्ताव पृष्ठ 47 से 52 एच) – 220 के.व्ही. डी.सी. डी.एस. छुरी–कोटमीकला लाईन हेतु रकबा 2.128 हे. प्रस्तावित वन भूमि में कुल 168 वृक्ष विद्यमान है। निर्धारित प्रपत्र–अ एवं ब में विवरण दर्शाया गया है। प्रस्ताव में प्रभावित वन भूमि में विद्यमान 168 वृक्षों की गणना सूची एवं कंडक्टर के दोनो ओर 3–3 मीटर में विद्यमान 73 वृक्षों की गणना सूची संलग्न किया गया है।

बिन्दु क्रमांक –13 कास्ट/बेनिफिट एनालिसिस (प्रस्ताव पृष्ठ 53) – प्रकरण में प्रभावित वन भूमि का क्षेत्रफल 20 हे. से कम होने के कारण लागू नहीं है।

बिन्दु क्रमांक –14 चयनित गैर वनक्षेत्र /निजी भूमि (पंचशाला खसरा की नकल, मानचित्र, सक्षम अधिकारी का हस्तांतरण आदेश) (प्रस्ताव पृष्ठ 54 तक) – प्रस्तावित 220 के.व्ही. डी.सी.डी.एस. छुरी–कोटमीकला लाईन हेतु रकबा 2.128 हे. में संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग के प्रकरण में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु दुगुने वन भूमि का चयन किया गया है।

बिन्दु क्रमांक –15 गैर वनक्षेत्र के आसपास क्षेत्र का नक्शा (प्रस्ताव पृष्ठ 55) – प्रकरण में दुगुने क्षेत्रफल के प्रतिपूरक वन रोपण प्रस्तावित है। प्रस्तावित क्षेत्र के आसपास दर्शित वन प्रबंधन सूचना प्रणाली द्वारा प्रदायित 10 कि.मी की परिधि का मानचित्र प्रस्ताव के बिन्दु क्रमांक 6 में संलग्न है।

बिन्दु क्रमांक –16 स्थल विशेष वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना (प्रस्ताव पृष्ठ 56 से 82) – व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित संरक्षित वन भूमि रकबा 2.128 हे के विरूद्ध मरवाही वन मंडल अंतर्गत परिक्षेत्र पेण्ड्रा के कक्ष क्रमांक 2357 स्थल केसला में दुगुने वन भूमि रकबा 4.300 हे. में दस वर्षीय वृक्षारोपण योजना रख–रखाव सहित तैयार कर प्रस्ताव में संलग्न किया गया है।

बिन्दु क्रमांक –17 वृक्षारोपण क्षेत्र उपयुक्तता प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 83 एवं 84) – 220 के.व्ही. डी.सी.डी.एस. छुरी–कोटमीकला लाईन हेतु प्रस्तावित संरक्षित वन भूमि रकबा 2.128 हे के विरूद्ध परिक्षेत्र पेण्ड्रा के कक्ष क्रमांक 2357 स्थल केसला में 4.300 हे. प्रस्तावित किया गया है। इस आशय का वन मंडलाधिकारी, मरवाही का प्रमाण पत्र संलग्न है।

बिन्दु क्रमांक –18 अधिनियम उल्लंघन अंर्तगत कार्यो का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 85) – प्रस्तावित प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया हैं। इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।

बिन्दु क्रमांक –19 अधिनियम उल्लंघन के लिये जिम्मेदार अधिकारियों एंव कर्मचारियों का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 86) – प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं होने के कारण विवरण **निरंक** है।

बिन्दु क्रमांक –20 अधिकारियों एंव कर्मचारियों के विरूद्ध प्रस्तावित कार्यवाही (प्रस्ताव पृष्ठ 87) –प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं होने के कारण किसी भी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध अधिनियम उल्लंघन की प्रस्तावित कार्यवाही निरंक हैं।

बिन्दु क्रमांक –21 वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु गैर वन भूमि अनुपलब्धता हेतु मुख्य सचिव का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 88 से 89) – भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा प्रसारीत वन संरक्षण अधिनियम 1980 के हैण्डबुक पैरा 2.5 अनुसार ट्रांसमिशन लाईन के प्रकरणों में दुगने वन भूमि में वैकल्पिक वृक्षारोपण को मान्य किये जाने के निर्देश है। तदानुसार प्रकरण में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु दुगुने बिगडे वन भूमि रकबा 4.300 हे. में प्रस्तावित किया गया है। इस कारण गैर वन भूमि अनुपलब्धता हेतु मुख्य सचिव का प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिन्दु क्रमांक –22 कैचमेंट ट्रीटमेंट प्लान (प्रस्ताव पृष्ठ 90) – प्रस्तावित प्रकरण विद्युत पारेषण लाईन से संबंधित होने के कारण केचमेन्ट ट्रीटमेन्ट प्लान की आवश्यकता नहीं हैं।

बिन्दु क्रमांक –23 रिक्लेमेशन प्लान (प्रस्ताव पृष्ठ 91) – प्रस्तावित प्रकरण में रिक्लेमेशन प्लान की आवश्यकता नहीं हैं।

बिन्दु क्रमांक –24 माईनिंग प्लान IBM नागपुर द्वारा अनुमोदित (केवल खनन प्रकरण में) (प्रस्ताव पृष्ठ 92) – प्रस्तावित प्रकरण विद्युत पारेषण लाईन से संबंधित होने के कारण आई.बी.एम. नागपुर से माईनिंग प्लान अनुमोदित कराने की आवश्यकता नहीं हैं।

बिन्दु क्रमांक –25 व्यवस्थापन प्लान (प्रस्ताव पृष्ठ 93) – प्रस्तावित प्रकरण विद्युत पारेषण लाईन में प्रभावित संरक्षित वन भूमि में किसी भी प्रकार का व्यवस्थापन नहीं किया गया है। अतः व्यवस्थापन प्लान की आवश्यकता नहीं है।

बिन्दु क्रमांक –26 वनाधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन (प्रपत्र I से IV तक) (प्रस्ताव पृष्ठ 94 से 108) – प्रस्तावित 2.128 हे. संरक्षित वन भूमि के लिए वनमण्डलाधिकारी मरवाही का प्रतिवेदन (प्रपत्र III एवं भाग 2) एवं मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त का प्रतिवेदन (भाग–3) संलग्न है। निरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार आवेदित संरक्षित वन भूमि का घनत्व 0.1 से 0.4 है तथा प्रस्तावित क्षेत्र में 168 वृक्ष विद्यमान है। मंडलाधिकारी मरवाही वन मंडल के भौतिक निरीक्षण दिनांक 07.02.2023 अनुसार आवेदित वन क्षेत्र को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु अनुशंसा की गई है। मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर ने वन मंडलाधिकारी मरवाही के सुझाव पर सहमति व्यक्त करते दिनांक 09.05.2023 से व्यपवर्तन प्रस्ताव की अनुशंसा की है।

बिन्दु क्रमांक –27 ऐतिहासिक स्थल प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 109 से 114) – प्रस्तावित विद्युत पारेषण लाईन हेतु आवेदित संरक्षित वन भूमि के अन्तर्गत कोई भी ऐतिहासिक या पुरातात्विक महत्व के ईमारत/स्मारक या भवन नहीं होने का वन मंडलाधिकारी, मरवाही का हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र संलग्न है।

बिन्दु क्रमांक –28 संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 115) – भारत सरकार नई दिल्ली के पत्र दिनांक 05.02.2013 अनुसार प्रस्तावित परियोजना रैखिक होने के कारण ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। निर्देश पत्र की प्रति पृष्ठ 110 पर संलग्न है। अपितु ग्राम पंचायत गोढ़ा का अनापत्ति प्रमाण पत्र भी पृष्ठ क्रमांक 131 में संलग्न है।

बिन्दु क्रमांक –29 जिले की कुल वन भूमि (रकबा हे.में) (प्रस्ताव पृष्ठ 116) – प्रस्ताव अनुसार गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही जिले में कुल वन भूमि रकबा 85187.039 हे. है।

बिन्दु क्रमांक –30 व.स.अ.–1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणो में प्रभावित हुई वन भूमि रकबा हे.में. (प्रस्ताव पृष्ठ 117) – वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत छत्तीसगढ राज्य में गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही जिले के मरवाही वन मंडल के अंतर्गत स्वीकृत प्रकरणों का रकबा 865.417 हे. है।

बिन्दु क्रमांक –31 व.स.अ.–1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणो में इसी श्रेणी की कुल प्रत्यावर्तन वन भूमि रकबा हे.मे (प्रस्ताव पृष्ठ 118) – मरवाही वन मंडल के अंतर्गत वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत् इसी श्रेणी के प्रभावित व्यपवर्तित वन भूमि का रकबा 236.886 हे. है।

बिन्दु क्रमांक –32 प्रस्तावित क्षेत्र को 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति न होने की जानकारी (प्रस्ताव पृष्ठ 119 से 120) – प्रस्तावित प्रकरण विद्युत लाईन विस्तार के अर्न्तगत 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य या हाथी कारीडोर स्थित /प्रस्तावित नहीं है। तदाशय का वन मंडलाधिकारी, मरवाही एवं आवेदक संस्थान का संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र संलग्न है। साथ ही भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का प्रमाण पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

बिन्दु क्रमांक –33 15 कि.मी. परिधि के नक्शे में खनन हेतु प्रस्तावित स्थलों का चिन्हांकन (प्रस्ताव पृष्ठ 121) – प्रस्तावित परियोजना खनन प्रकरण नहीं होने से आवश्यक नहीं है।

बिन्दु क्रमांक –34 वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 122 से 132) – प्रस्तावित विद्युत पारेषण लाईन के प्रस्ताव में वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण संबंधी कलेक्टर गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही का प्रमाण पत्र दिनांक 07.07.2022 को जारी एनेक्चर–I की प्रति, जिला स्तरीय वन अधिकार समिति गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही के बैठक का कार्यवाही विवरण, अनुविभाग स्तरीय वन खण्ड अधिकार समिति एवं ग्राम पंचायत गोढ़ा का अनापत्ति एवं कार्यवाही बैठक की नकल की प्रति प्रस्ताव में संलग्न है।

बिन्दु क्रमांक –35 राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 133 से 134) – विद्युत पारेषण लाईन के प्रस्ताव में राजस्व वनभूमि प्रस्तावित नहीं है जिसका कलेक्टर, जिला गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही का अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक 07.07.2022 की प्रति संलग्न है।

बिन्दु क्रमांक –36 माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार प्रत्याशा मूल्य जमा करने का वचन पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 135) – शुद्ध प्रत्याशा मूल्य की दर जो भी वन विभाग तय करेगा वह राशि छ.ग. राज्य विद्युत पारेषण कंपनी कोरबा जमा करने हेतु वचनबद्ध है। तदाशय का आवेदक संस्थान का वचन पत्र प्रस्ताव में संलग्न है। वन मंडलाधिकारी द्वारा शुद्ध प्रत्याशा मूल्य की जमा राशि का गणना पत्रक प्रस्ताव के पृष्ठ क्रमांक 161 में संलग्न किया गया है।

बिन्दु क्रमांक –37 Clearance under FC Act, 1980: Deposition of funds with the Ad-hoc CAMPA: Remittances to precede 2nd stage clearance (प्रस्ताव पृष्ठ 136) – वन भूमि के व्यपवर्तन प्रस्ताव से संबंधित भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात जो भी राशि शर्त अनुसार निर्धारित है उसे आवेदक संस्थान से CAMPA निधि में तत्काल जमा कराया जावेगा।

बिन्दु क्रमांक –38 "A detailed note on Soil Productivity or the lack of it" (प्रस्ताव पृष्ठ 137) – आवेदित संरक्षित वन भूमि में मृदा में उत्पादन की संभावना कम है एवं मृदा वर्गीकरण के पांचवी श्रेणी में आता है।

बिन्दु क्रमांक –39 परियोजना की किसी भी प्रकार की भूमि में कार्य प्रारंभ न करने का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 138) – आवेदित वन भूमि में किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य आरम्भ नहीं किया गया है एवं वन विभाग के नियमानुसार स्वीकृति मिलने के पूर्व कोई भी निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया जावेगा। इस आशय का आवेदक संस्थान का प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।

बिन्दु क्रमांक –40 Diversion of large area (more than 500 ha.) of forest land for mining and other non-forestry purposes under the Forest (Conservation) Act 1980 (प्रस्ताव पृष्ठ 139) – प्रस्तावित प्रकरण 500 हेक्टेयर से कम होने के कारण वोकेशनल ट्रेनिंग संस्थान की आवश्यकता नहीं है।

बिन्दु क्रमांक –41 पंजीयन क्रमांक–पंजीयन शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 140 से 143) – आवेदक से पंजीयन शुल्क मूल्य 6000/– एवं प्रसंस्करण (प्रोसेसिंग) शुल्क मूल्य 18,000/– कुल मूल्य 24000/– की राशि वनमण्डलाधिकारी मरवाही वन मंडल के पी. डी. खाता में जमा किया गया है।

बिन्दु क्रमांक –42 वन्यप्राणी परियोजना पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) का अभिमत (प्रस्ताव पृष्ठ 144) – प्रस्ताव अनुसार आवश्यक नहीं है।

बिन्दु क्रमांक –43 विद्युत लाईन से संबंधित प्रकरणों में एक स्थल से दूसरे स्थल तक टावर ले जाने का मानचित्र तथा तीन विकल्प में न्यूनतम प्रभावी वन क्षेत्र का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 145–145ए) – बिन्दु अनुसार तीन विकल्प में न्यूनतम प्रभावी वन क्षेत्र का विवरण एवं मानचित्र संलग्न है।

बिन्दु क्रमांक –44 प्रस्ताव में अन्य कमियों का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 146 से 179) – प्रस्ताव में अन्य जानकारी स्वरूप वन मंडलाधिकारी एवं आवेदक संस्थान का वचन पत्र एवं डीजीपीएस सर्वे रिपोर्ट मय सी.डी संलग्न है।

प्रकरण का प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है तथा समस्त प्रचलित संबद्ध नियमो/दिशा निर्देशों का पालन किया गया है। प्रस्ताव भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के वेब साईट में www.parivesh.nic.in पर अपलोड किया गया है।

उपरोक्त विवरण के आधार पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर प्रस्ताव तैयार की गई है। अतः मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर के अनुशंसा के आधार पर प्रस्ताव से सहमत होते हुए, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ के अनुशंसा निर्धारित प्रपत्र भाग–4 सहित वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रथम चरण की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव 2 प्रतियों में संलग्न प्रेषित है।

संलग्नः– 1. प्रस्ताव 2 प्रतियों में मय डीजीपीएस रिपोर्ट
2. भाग–4
3. टाईम लाईन

(प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा अनुमोदित)

अ.प्र.मु.व.स (भू–प्रबंध /वं. स. अ)
छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक/भू–प्रबंध/ विद्युत/ 479–182/ 1750 रायपुर, दिनांक 25/07/2023

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः

1. **मुख्य वन संरक्षक,** बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
2. **वनमण्डलाधिकारी,** मरवाही वन मण्डल, मरवाही छत्तीसगढ़।
3. **कार्यपालन अभियंता,** अति उच्च दाब (संधारण), संभाग छत्तीसगढ़ स्टेट पावर एण्ड ट्रांसमिशन कंपनी लिमि. कोरबा, छत्तीसगढ़।

अ.प्र.मु.व.स (भू – प्रबंध / व. सं. अ)
छत्तीसगढ़